chedule XLII-High Court (J) 19[old

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व निष्पादन वाद सं.– 01/16 सी.आई.एस.क्र.– 14301/16

काली चरण कांत बनाम विनोद चौधरी

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
07/02/25	डिक्रीदार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। निर्णीत ऋणी की कोई पैरवी नहीं है। पुकार पर डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए परंतु निर्णीत ऋणी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि स्वत्व वाद संख्या 1/2004 में वादी/डिक्रीदार के पक्ष में स्वत्व की घोषणा एवं कब्जे की पुनः प्राप्ति एवं स्थाई निषेधज्ञा एवं खर्चे का आदेश प्रतिवादी प्रथम पक्ष के विरूद्ध पारित किया गया है। उक्त निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति निष्पादन आवेदन के साथ प्रस्तुत कियाा गया है। इस वाद के कार्रवाई में मूल अभिलेख की आवश्यकता नहीं है। अतः विनम्र निवेदन है कि इस वाद में डी.पी. निर्गत किये जाने की कृपा की जाए। सुनवाई के दौरान निर्णीत ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि स्वत्व वाद संख्या 1/2004 में डिक्रीदार के पक्ष में डिक्री एवं निर्णय पारित कर वादभूमि का कब्जा डिक्रीदार को प्रदान किये जाने का आदेश प्रतिवादी प्रथम पक्ष को दिया गया था परंतु उक्त आदेश का पालन प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा आज तक नहीं किया गया है। चूंकि इस निष्पादन आवेदन के साथ स्वत्व वाद संख्या 1/2004 में पारित निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए गए हैं। जिस कारण से इस वाद में उक्त वाद के मूल अभिलेख की आवश्यकता नहीं है। अतः न्याय हित में डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत निष्पादन आवेदन को न्याय हित में स्वीकृत कर डिक्रीदार को आदेशित किया जाता है कि वह नाजीर खर्च के रूप में एक दिन का वेतन की राशि नजारत में जमा करें। तत्पश्चात् कार्यालय डी.पी. निर्गत करें। वाद आगामी दिनांक 28.02.25 प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। हस्ताक्षर अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी	